सं. 402/92/2006-एमसी (2008 का 10)
भारत सरकार/वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
****

नई दिल्ली दिनांक 12th फरवरी 2008

प्रेस विज्ञप्ति

सभी कर कटौतीकर्ताओं/संग्राहकों को प्रपत्र संख्या 24थ (वेतन के लिए), प्रपत्र संख्या 26थ (वेतन के अलावा अन्य भुगतान के लिए) या प्रपत्र संख्या 27ड़थ (टीसीएस के लिए) में टीडीएस/टीसीएस विवरणी दाखिल करना आवश्यक है। इन प्रपत्रों में सभी कर कटौतियों का विवरण, उन पक्षों के नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) सहित देना होता है जिनसे कर काटा गया था।

इससे पहले यह निर्णय लिया गया था कि 90% से कम पैन डेटा वाले प्रपत्र संख्या 24थ तथा 70% से कम पैन डेटा वाले प्रपत्र संख्या 26थ और प्रपत्र संख्या 27ड़थ को 30.09.2007 को समाप्त तिमाही और उसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

तब से उक्त निर्णय की अब समीक्षा की जा रही है। अब पैन उद्धृत करने की सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके बिना टीडीएस/टीसीएस विवरणी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रपत्र 24थ के मामले में सीमा को 90% से बढ़ाकर 95% और प्रपत्र 26थ और 27डथ के मामले में 70% से बढ़ाकर 85% कर दिया गया है। बढ़ी हुई सीमाएं 31.03.2008 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए और उससे लागू होंगी। ये प्रारंभिक सीमाएं उन सभी टीडीएस/टीसीएस विवरणी पर भी लागू होंगी, जो 01/04/2008 को या उसके बाद की किसी भी पिछली तिमाही के लिए दाखिल की गई हैं।

इसलिए, कर कटौतीकर्ताओं और कर संग्रहकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे सभी कटौतीकर्ताओं का सही पैन प्राप्त करें और अपने टीडीएस/टीसीएस विवरणी में उसका उल्लेख करें। कटौतीकर्ताओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे अपने कटौतीकर्ताओं के पास अपना सही पैन प्रस्तुत करें, अन्यथा उन्हें न केवल अपने आयकर आकलन में टीडीएस/टीसीएस का क्रेडिट प्राप्त करने में कठिनाई होगी, बल्कि आयकर अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्यवाही का भी सामना करना पड़ेगा।

XXX